निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

दिनांक : 30.12.2020

प्रकरण संख्या – 144 / 2019

अनवान

लक्ष्मण पिता किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर

.... वादी

|| **बनाम** ||

1. रामचन्द्र पिता किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर
2. जीतमल पिता किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर
3. रूपी बाई पिता किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर
4. विनोतीबाई पिता किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर
5. दाखीबाई पत्नि किशनलाल माली वयस्क निवासी दौलतपुरा तहसील भदेसर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... प्रतिवादीगण

दावा ,घोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, रा0का0अधि0

उपस्थित –श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

श्री नरेन्द्रसिहं पंवार वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188, के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया के :–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम दौलतपुरा पटवार रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर की खाता संख्या 11 पर दर्ज आराजी नम्बर 273, 276, 320, 321, 322, 323, 409, 410, 460, 461, 503, कुल किता 11 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 12 की आराजी नम्बर 273 रकबा 0.57 हैक्टेयर स्थित है ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है संलग्न है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वर्णित खाता संख्या 10 पर दर्ज आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

का 1/6 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है वादी के पिता किशन लाल माली की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही की गई जिसमें वादी के मुंह बोलते नाम झूले लाल पिता किशनलाल के नाम विरासत का नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में लक्ष्मण पिता किशनलाल माली दर्ज है । वादी के नाम की त्रृटि के कारण वादी को राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वादी अपनी आराजीयात को उन्नत करने के लिए ऋण भी नहीं ले पा रहा है इसलिए राजस्व रेकार्ड में हुइ त्रृटि को दुरूस्त किया जाकर खाता संख्या 106 व खाता 12 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम झूलेलाल के बजाय लक्ष्मण अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण की और से वकील श्री नरेन्द्रसिहं ने उपस्थित दी तथा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वादवर्णित स्वीकार है ।

प्रकरण में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत होने से तनकीयात कायम किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा दौलतपुरा खाता संख्या 106 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1
2. वादी लक्ष्मण का का आधार कार्ड संख्या 434817138635 की फोटो प्रति
3. मतदाता फोटो पह्चान पत्र संख्या आर ज/19/123/474512
4. ग्राम पंचायत रेवलियाखुर्द द्वारा दिनांक 8.8.2018को नाम संशोधन हेतु जारी प्रमाण पत्र एवं प्रमाण दि० 20/05/2020
5. गवाह श्री रतनलाल पिता छोगालाल माली निवासी दौलतपुरा का शपथपत्र ,
6. गवाह लक्ष्मण पिता किशनलाल माली निवासी दौलतपुरा का शपथपत्र

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:02:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा जो कि ग्रामीण पृष्ठ भूमि का एक सशक्त माध्यम है ने भी इस तथ्य की पुष्ठि की है कि झूलेलाल पिता किशनलाल माली एवं लक्ष्मणलाल पिता किशनलाल माली दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है जिसका जमाबन्दी में झूलेलाल के स्थान पर लक्ष्मण लाल किया जाने की अभिशंषा की गई हे । वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में झूलेलाल पिता किशनलाल अंकित जो कि स्थानीय नाम ,मुहंबोलता नाम प्रतीत होता है जबकि अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो परिचय पत्र में वादी का नाम लक्ष्मण लाल अकित है जो वादी राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती चाहता है जिससे वाद के तथ्यों की आंशिक पुष्ठि होती है ।

अतः वाद वादी [illegible] किया जाता है कि मौजा दौलतपुरा पटवार रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर की खाता संख्या 11 पर दर्ज आराजी नम्बर 273, 276, 320, 321, 322, 323, 409, 410, 460, 461, 503, कुल किता 11 कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर भूमि में खातेदारान् के नाम की प्रविष्ठि में अंकित खातेदार झूलेलाल पिता किशनलाल माली के स्थान पर <u>झूलेलाल उर्फ लक्ष्मणलाल पिता किशनलाल माली</u> शुद्वि से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है । इस आदेश के माध्यम से वादी अपने राजस्व रेकार्ड में अंकित पूर्व नाम झूलेलाल के दायित्वों से मुक्त नहीं रहेंगे । जमाबन्दी में शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी । इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:02:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner